इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244] भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 अगस्त 2024—श्रावण 30, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2024

क्र. 12618—157—इक्कीस—अ(प्रा.).— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 अगस्त 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव,

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २०२४

मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक, २०२४

विषय-सूची

धाराएं :

अध्याय-एक
प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

अध्याय-दो
नलकूपों या बोरवेलों को ड्रिल करने के लिए भूमिका, उत्तरदायित्व तथा प्रक्रियाएं

३. ड्रिलिंग अभिकरण का उत्तरदायित्व.

४. भूमि स्वामी/ड्रिलिंग अभिकरण का पुरानी / गैर क्रियाशील / असफल / अपूर्ण नलकूप या बोरवेल का उत्तरदायित्व.

५. सक्षम प्राधिकारी की शक्ति.

अध्याय-तीन
खुले बोरवेल या नलकूप के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

६. किसी सरकारी पदधारी द्वारा कोई कार्रवाई करने की शक्ति.

७. खुले बोरवेल या नलकूप पर कैप लगाया जाना.

८. ड्रिलिंग अभिकरण या भूमि-स्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन का रजिस्ट्रीकरण.

अध्याय-चार
अपराध तथा शास्तियां

९. अपराध तथा शास्तियां.

अध्याय-पांच
अपील

१०. अपील.

अध्याय-छह
प्रकीर्ण उपबंध

११. संक्रमण कालीन उपबंध.

१२. नियम बनाने की शक्ति.

१३. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २०२४

मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम, २०२४

[दिनांक १६ अगस्त, २०२४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २१ अगस्त, २०२४ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

खुले बोरवेल या नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली घटनाओं या जानलेवा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, यदि बोरवेल/नलकूप के ड्रिलिंग के समय ड्रिलिंग अभिकरण द्वारा समुचित सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए जाते हैं तो ड्रिलिंग अभिकरण के विरूद्ध विचारित कार्रवाई करने के साथ ही, लापरवाह ड्रिलिंग अभिकरण और भूमि स्वामी के विरूद्ध दाण्डिक कार्रवाई करने तथा उससे संसक्त तथा उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम, २०२४ है.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

२. (१) इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में यथाविहित सक्षम प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित व्यक्ति;

(ख) "ड्रिलिंग अभिकरण" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति या प्राधिकृत व्यक्ति या कोई फर्म (जिसमें शासकीय या अर्ध-शासकीय अभिकरण सम्मिलित हैं), जो मशीनी रूप में या अन्य साधनों से बोरवेल/नलकूप ड्रिलिंग के काम में लगा हुआ है;

(ग) "भूमि स्वामी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा १५८ में भूमि स्वामी के रूप में वर्णित कोई भूमि स्वामी;

(घ) "स्थानीय शासन" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) के अधीन गठित शहरी स्थानीय निकाय (यू एल बी), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन गठित नगर पालिका परिषद्, नगर परिषद् तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) के अधीन गठित पंचायती राज संस्थाएं (पी आर आई);

(ङ) "पुरूष" से अभिप्रेत है, किसी भी आयु का पुरूष मानव तथा "महिला" से अभिप्रेत है, किसी भी आयु की महिला मानव;

(च) "खुला नलकूप या बोरवेल" से अभिप्रेत है, ऐसा नलकूप या बोरवेल जो इस अधिनियम की अधीन बनाए गए नियमों में यथा विहित ढका हुआ नहीं है या सील नहीं किया गया है तथा खुला पड़ा है, जिससे जानलेवा दुर्घटना का डर है;

(छ) "व्यक्ति" में कोई कंपनी या संगम या वैयक्तिक निकाय सम्मिलित है, चाहे निगमित हो अथवा नहीं;

(ज) "लोक उपताप" संहिता की धारा २६८ में यथा परिभाषित;

(झ) "नियम" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम;

(ञ) "संहिता" से अभिप्रेत है, भारतीय न्याय संहिता (२०२३ का ४५)

(ट) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ठ) "नलकूप या बोरवेल" से अभिप्रेत है, जमीन में जल के लिए मशीन या अन्य माध्यम से आवरण पाइप के साथ या उसके बिना खोदा गया संकरा और गहरा कुआं जो भूमि के अंदर से जल निकालने या अन्य प्रयोजन के लिए हो;

(ड) "पीड़ित" से अभिप्रेत है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (२०२३ का ४६) की धारा २ की उपधारा (म) में यथा परिभाषित पीड़ित व्यक्ति;

(२) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं परन्तु भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (२०२३ का ४५), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (२०२३ का ४६), मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९), या सामान्य खण्ड अधिनियम, १९५७ (१९५८ का ३) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो कि क्रमशः उन अधिनियमों में उन्हें समनुदेशित किए गए हैं.

अध्याय-दो

नलकूपों या बोरवेलों को ड्रिल करने के लिए भूमिका, उत्तरदायित्व तथा प्रक्रियाएं

ड्रिलिंग अभिकरण के उत्तरदायित्व.

३. (१) ड्रिलिंग अभिकरण, कोई बोरवेल नलकूप की ड्रिलिंग के पूर्व नियमों में यथा विहित वेब पोर्टल पर डाटा भरने के पश्चात् बोरवेल/नलकूप ड्रिल करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करेगा.

(२) ड्रिलिंग अभिकरण, ड्रिलिंग स्थल पर ड्रिलिंग अभिकरण और भूमि स्वामी के बारे में पूर्ण ब्यौरे प्रदर्शित करेगा और ड्रिलिंग के दौरान और उसके पूर्ण होने के बाद नियमों में यथा विहित सुरक्षात्मक उपाय करेगा.

भूमि स्वामी / ड्रिलिंग अभिकरण का पुरानी / गैर–क्रियाशील / असफल / अपूर्ण बोरवेल / नलकूप के लिए उत्तरदायित्व.

४. (१) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक को कोई निष्क्रिय बोरवेल/नलकूप, इस अधिनियम के लागू होने के दिनांक से ३ मास की कालावधि के भीतर उस भूमि स्वामी द्वारा जिसकी भूमि पर बोरवेल/नलकूप अवस्थित है, बंद कर दी जाएगी.

(२) कोई चालू बोरवेल/नलकूप जिसने काम करना बंद कर दिया है, भूमि स्वामी द्वारा नियमों में यथा विहित प्रक्रिया अनुसार कैप कर दी जाएगी.

(३) बोरवेल/नलकूप के,-

(एक) असफल होने; या

(दो) अपूर्ण रहने

की दशा में ड्रिलिंग अभिकरण नियमों में विहित किए गए अनुसार बोरवेल/नलकूप को कैप कर देगा/बंद कर देगा.

(४) धारा ४(१), (२) तथा (३) के किसी उल्लंघन की दशा में अधिनियम की धारा ९ में विहित उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी.

सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां.

५. सक्षम प्राधिकारी के पास निम्नलिखित शक्तियां होगी,-

(एक) बोरवेल/नलकूप के क्षेत्र में प्रवेश करना;

(दो) दुर्घटनाओं से रोकथाम के उपाय करना;

(तीन) खुले बोरवेल/नलकूप के स्थल पर किए गए सुरक्षा उपबंधों की जांच करना;

(चार) लापरवाही के कारण किसी दुर्घटना/घटना की दशा में श्रमिक और मशीनरी लगाना.

अध्याय-तीन

खुले बोरवेल या नलकूप के विरूद्ध शिकायत के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

शासकीय पदधारी द्वारा कार्रवाई करने की शक्ति.

६. (१) कोई शासकीय पदधारी खुले बोरवेल या नलकूप के संबंध में स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट या शिकायत प्राप्त होने पर संज्ञान ले सकेगा.

(२) प्रतिवेदन और/या शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित शासकीय पदधारी, नियमों में विहित की गई रीति में उस प्रादेशिक क्षेत्र, जिसमें बोरवेल/नलकूप स्थित है, के सक्षम प्राधिकारी को मामले की रिपोर्ट देगा.

(३) यदि शिकायत सत्य पाई जाती है तो शिकायतकर्ता, नियमों में यथा विहित, पुरस्कार के लिए पात्र होगा.

खुले बोरवेल या नलकूप पर कैप लगाया जाना.

७. भूमि स्वामी या ड्रिलिंग अभिकरण के यथास्थिति धारा ४ या सक्षम प्राधिकारी के निदेशों के अनुसार कार्य करने में असफल रहने की दशा में खुले बोरवेल/नलकूप को कैप करने में उपगत व्यय, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ के अधीन भू-राजस्व के बकाया की वसूली के उपबंधों के अनुसार वसूला जाएगा.

ड्रिलिंग अभिकरण या भूमि स्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन का रजिस्ट्रीकरण.

८. इस अधिनियम की धारा ४ में यथा उल्लिखित, ड्रिलिंग अभिकरण या भूमि स्वामी की ओर से की गई उपेक्षा के कारण कोई दुर्घटना हो जाने की दशा में, ऐसे ड्रिलिंग अभिकरण या भूमि स्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ आई आर) रजिस्ट्रीकृत की जाएगी.

अध्याय-चार

अपराध तथा शास्तियां

अपराध तथा शास्तियां.

९. (१) जो कोई भी इस अधिनियम की धारा ४ में उल्लिखित किन्हीं उपबंध का उल्लंघन करता है, तब सक्षम प्राधिकारी संबंधित ड्रिलिंग अभिकरण/भूमि स्वामी को सुरक्षात्मक उपाय करने के निदेश देते हुए नोटिस जारी करेगा और ड्रिलिंग अभिकरण भूमि स्वामी के निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में सक्षम प्राधिकारी, प्रथम अपराध के लिए रूपए १०००० तक (रूपए दस हजार केवल) की और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए रूपए २५००० तक (रूपए पच्चीस हजार केवल) का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा.

(२) जो कोई भी इस अधिनियम की धारा ४ में उल्लिखित किन्हीं उपबंधों का उल्लघंन करता है जिससे कोई दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है, तब वह दोषसिद्धि पर संहिता की धारा १००, १०५, १०६ तथा ११० के अधीन, सुंसगत उपबंधों के अनुसार दण्डित किया जाएगा.

(३) दुर्घटना के दौरान किसी व्यक्ति के बचाव के लिए उपगत व्यय, ड्रिलिंग अभिकरण या भूमि स्वामी से नियमों में विहित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ के अधीन भू राजस्व की बकाया की वसूली के उपबंधों के अनुसार, वसूल किया जाएगा.

अध्याय-पांच

अपील

अपील.

१०. इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ३० दिन की कालावधि के भीतर नियमों में यथा विहित अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील संस्थित कर सकेगा.

अध्याय-छह

प्रकीर्ण उपबंध

संक्रमण कालीन उपबंध.

११. बोरवेल और नलकूप की ड्रिलिंग, संचालन तथा अनुरक्षण के उपबंधों के संबंध में राज्य सरकार के स्थानीय निकाय या पंचायत विभाग द्वारा बनाई गई उपविधियां इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने तक प्रवर्तन में रहेंगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियम नहीं बना लिए जाते.

नियम बनाने की शक्ति.

१२. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने हेतु नियम, विनियम और उपविधियां बना सकेगी.

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

१३. इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जैसा कि कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2024

क्र. 12618–157–इक्कीस–अ(प्रा.).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
NO. 15 OF 2024
THE MADHYA PRADESH KHULE NALKUP MEIN INSAANO KE GIRNE SE HONE WALI DURGHATNOA KI ROKTHAAM EVAM SURAKSHA ADHINIYAM, 2024

TABLE OF CONTENTS

Sections:

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER-II
ROLE, RESPONSIBILITIES AND PROCEDURES FOR DRILLING TUBEWELLS OR BOREWELLS

3. Responsibility of the drilling agency.
4. Responsibility of landowner/ drilling agency regarding old/non-functional /failed/unfinished borewell/ tubewell.
5. Power of the Competent Authority.

CHAPTER-III
PROCEDURE TO BE ADOPTED FOR RESOLVING THE COMPLAINTS AGAINST THE OPEN BOREWELL OR TUBEWELL

6. Power to take any action by government officials.
7. Capping of open borewell or tubewell.
8. Registration of first information report against drilling agency or landowner.

CHAPTER-IV
OFFENCES AND PENALTIES

9. Offences and penalties.

CHAPTER-V
APPEALS

10. Appeals.

CHAPTER-VI
MISCELLANEOUS PROVISIONS

11. Transitory provisions.
12. Power to make rules.
13. Power to remove difficulties.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 15 OF 2024

THE MADHYA PRADESH KHULE NALKUP MEIN INSAANO KE GIRNE SE HONE WALI DURGHATNAON KI ROKTHAAM EVAM SURAKSHA ADHINIYAM, 2024

[Received the assent of the Governor on the 16th August, 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 21st August 2024.]

An Act to prevent incidents or fatal accidents by human beings falling into an open borewell or tubewell, to take penal action against the negligent drilling agency and landowner, along with actions to be contemplated against the drilling agency, if proper safety measures are not adopted by the drilling agency at the time of drilling borewell/tubewell and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-fifth year of the Republic of India as follows: -

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1.(1) This Act may be called The Madhya Pradesh Khule Nalkup Mein Insaano Ke Girne Se Hone wali Durghatnaon Ki Rokthaam Evam Suraksha Adhiniyam, 2024.

(2) It shall extend to the whole State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Definitions.

2.(l) In this Act, unless the context otherwise requires: -

(a) "Competent Authority" means the person designated as the Competent Authority as prescribed in the rules made under this Act;

(b) "Drilling Agency" means a person or authorized person or a firm (including Government or Semi-Government Agency) which is involved in the work of drilling borewell/tubewell by mechanical or other means.

(c) "Landowner" means a landowner referred to as Bhumi Swami in Section 158 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code,1959 (No. 20 of 1959);

(d) "Local Government" means the Urban Local Bodies (ULBs) constituted under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), Municipal Council, Nagar Parishad constituted under the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 196l) and Panchayati Raj Institutions (PRIs) constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. l of 1994);

(e) "Man" and Women" means a male human being of any age and a "woman" means a female human being of any age;

(f) "open tubewell or borewell" means a tubewell or borewell which is not covered or sealed as prescribed in the rules made under this Act and kept open as it poses a threat to fatal accident;

(g) "person" includes any company, association or body of individuals, whether incorporated or not;

(h) "Public nuisance" as defined in Section 270 of the Sanhita,

(i) "Rules" means the rules made under this Act;

(j) "Sanhita" means Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (No. 45 of 2023);

(k) "State Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(l) "tubewell or borewell" means a narrow and deeper well drilled for water in the ground by mechanical or other means with or without casing pipe to draw water or for other purposes in the earth underground.

(m) "victim" means a person as defined under sub-section (y) of section 2 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 (No. 46 of 2023);

(2) words and expressions used herein and not defined, but defined in the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 (No. 45 of 2023), the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 (No. 46 of 2023), the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) or the General Clauses Act, 1957 (3 of 1958) have the same meanings respectively as assigned to them in those Acts.

CHAPTER-II

ROLE, RESPONSIBILITIES AND PROCEDURES FOR DRILLING TUBEWELLS OR BOREWELLS

Responsibility of the drilling agency.

3.(1) Drilling agency, before drilling a bore well/ tube well, shall generate a permit to drill a borewell/tubewell after filling in the data on a web portal as prescribed in the rules.

(2) Drilling agency shall display at the drilling site, complete details regarding the drilling agency, and landowner and shall take all necessary precautionary measures during and after completion of drilling as prescribed in the rules.

Responsibility of landowner/ drilling agency regarding old/non-functional/ failed/ unfinished borewell/ tubewell.

4.(1) Any borewell/tubewell which is not in a working condition on the date on which this Act comes into force, shall be closed by the landowner, on whose land the borewell/tubewell is situated, within a period of 3 months from the date of applicability of this act.

(2) Any running borewell or tubewell that becomes non-functional must be capped by the landowner, as per the procedure prescribed in the rules.

(3) In case, the borewell/tube well after drilling :-

(i) fails, or

(ii) remains unfinished,

the drilling agency shall cap/close the borewell/tubewell as prescribed in the rules.

(4) Any contravention, with respect to section 04(1), (2) and (2) shall be dealt as per provision as prescribed under section 9 of the Act.

Powers of the competent authority.

5. The competent authority shall have the power to,-

(i) to enter the area of the borewell/ tubewell;

(ii) to take measures to prevent accidents,

(iii) to verify the safety provisions made at the site of the open tubewell/borewell,

(iv) to deploy labour and machinery in case of any accident/mishappening due to negligence.

CHAPTER-III

PROCEDURE TO BE ADOPTED FOR RESOLVING THE COMPLAINTS AGAINST THE OPEN BOREWELL OR TUBEWELL

Power to take any action by Government officials.

6. (l) Any Government official may take cognizance of any Matter suo-moto or on the report or complaint made by any person regarding an open borewell or tubewell.

(2) On receiving the report and/or complaint, the concerned Government official shall report the matter to the competent authority of the territorial area in which the tubewell/ borewell is situated in the manner prescribed in the rules.

(3) If the complaint is found to be true, the complainant shall be eligible for a reward as prescribed in the rules.

Capping of open borewell or tubewell.

7. The expenditure incurred in capping open borewell/tubewell shall be recovered from the drilling agency or landowner as per the provisions for the recovery of arrears of land revenue under the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, in case landowner or drilling agency, as the case may be, fails to act as per section 4 or directions of the competent authority.

Registration of first information report against drilling agency or landowner.

8. In case of the occurrence of any accident due to negligence on the part of the drilling agency or landowner, as mentioned under section 4 of this Act, First Information Report (FIR) shall be registered against such drilling agency or landowner.

CHAPTER-IV

OFFENCES AND PENALTIES

Offence and penalties.

9.(1) Whoever contravenes any of the provisions mentioned in section 4 of this Act, the competent authority shall issue notice to the concerned drilling agency/landowner with the direction to take corrective measures and in case the drilling agency/landowner fails to comply with the directions, then the competent authority may impose a fine upto Rupees 10,000/- (Ten thousand only) for the first offense and for each subsequent offence a fine upto Rupees 25,000/- (Twenty-five thousand only).

(2) Whoever contravenes any of the provisions mentioned in Section 4 of this Act which leads to any accident or death, then he shall be punished upon conviction, as per the relevant provisions under Sections 100, 105, 106 and 110 of the Sanhita.

(3) The expenditure incurred during the rescue of any person during the accident, shall be recovered from the drilling agency or landowner as prescribed in the rules as per the provisions for the recovery of arrears of land revenue under Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959.

CHAPTER-V

APPEALS

Appeals. 10. Any person aggrieved by the orders passed under this Act, may, within the period of 30 days, prefer an appeal before the appellate authority as prescribed in the rules.

CHAPTER-VI

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Transitory provisions. 11. Any byelaws made by the Local Body or Panchayat Department of the State Government in relation to the provisions of drilling, operation, and maintenance of tubewell and borewell shall continue to remain in force to the extent they are not inconsistent with the provisions of this Act until rules are framed by the State Government under this Act.

Power to make rules. 12. The Government may, by notification in the Gazette, make rules, regulations, and bye-laws to carry out the purposes of this Act.

Power to remove difficulties. 13. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order publish, in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2024.